न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 34 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 84

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
चन्दु देवी पत्नी स्व. पूनमाजी वगैरह	अमृत पुत्र जगसी वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 18.06.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह जूनेजा उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 6(2) की ओर विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 व 7 की ओर विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 6, 6(1), 6(3), 6(4), 6(5), 8 लगायत 13 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 22.12.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा लाछीवाड़ गोलिया में पुराने खसरा नंबर 256 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी दोयम एवं पुराने खसरा नंबर 270 रकबा 91 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की आराजी प्रार्थीगण के दादीयाससुर/परदादा उक्त जोधा वल्द प्रागा कौम कोली के नाम से दर्ज रही जो प्रथम सेटलमेंट की खतौनी बंदोबस्त से प्रमाणित है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थीगण के इस प्रार्थना–पत्र के साथ सलंग्न है। द्वितीय सेटलमेंट की कार्यवाही के समय उपरोक्त वर्णित दोनों ही खसरान के जो नए खसरा नंबर सृजित किए गए वे इस प्रकार है कि उपरोक्त वर्णित पुराने खसरा नंबर 256 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा के नए खसरा नंबर 251 रकबा 0.89 हैक्टेयर एवं (2) उपरोक्त वर्णित पुराने खसर नंबर 270 रकबा 91 बीघा 02 बिस्वा के नए खसरा नंबर 233 रकबा 1.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 234 रकबा 2.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 235 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नंबर 236 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नंबर 237 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नंबर 238 रकबा 1.66 हैक्टेयर, खसरा नंबर [illegible] 1.00 हैक्टेयर, खसरा नंबर 460 रकबा 1.64 हैक्टेयर, खसरा नंबर 461 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 462 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 463 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नंबर 464 रकबा 0.88 हैक्टेयर, खसरा नंबर 465 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 466 रकबा [illegible]12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 467 रकबा 0.64 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 468 रकबा 0.65 हैक्टेयर उपरोक्त तथ्य ग्राम लाछीवाड़ गोलिया के द्वितीय सेटलमेंट के मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थीगण के इस प्रार्थना–पत्र के साथ सलंग्न है। अतः प्रार्थीगण की तरफ से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

अस्थाई निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि प्रार्थीगण द्वारा पेश किए गए वाद का जब तक अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक सरहद मौजा लाछीवाड़ गोलिया में स्थित पुराने खसरा नंबर 256 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा से सृजित नए खसरा नंबर खसरा नंबर 251 रकबा 0.89 हैक्टेयर एवं पुराने खसरा नंबर 270 रकबा 91 बीघा 2 बिस्वा से सृजित नए खसरा नंबर 233 रकबा 1.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 234 रकबा 2.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 235 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नंबर 236 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नंबर 237 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नंबर 238 रकबा 1.66 हैक्टेयर, खसरा नंबर 242 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नंबर 460 रकबा 1.64 हैक्टेयर, खसरा नंबर 461 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 462 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 463 रकबा 1.74 हैक्टेयर, खसरा नंबर 464 रकबा 0.88 हैक्टेयर, खसरा नंबर 465 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 466 रकबा 1.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 467 रकबा 0.64 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 468 रकबा 0.65 हैक्टेयर में स्थित प्रार्थीगण के 1/12 हैक्टेयर की आराजीयान के उपयोग–उपभोग कब्जे काश्त में प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण न तो स्वयं दखल या बाधा पैदा करें न अन्य से करावें, उक्त हिस्से की आराजी पर से प्रार्थीगण को न तो स्वयं बेदखल करें न अन्य से करावें, उपरोक्त हिस्से की आराजी का किसी भी प्रकार से अन्तरण न तो स्वयं करें, न अन्य से करावें इस पर किसी भी प्रकार क निर्माण कार्य न तो स्वयं करें न अन्य से करावें, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की फरमावें एवं अप्रार्थीगण संख्या 11 से 12 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि प्रार्थीगण के हिस्से की उपरोक्त आराजी के संबंध में कोई नामान्तरकरण स्वीकार नहीं करें एवं अप्रार्थीगण संख्या 13 प्रार्थीगण के हिस्से की उपरोक्त आराजी के किसी भी प्रकार के अन्तरण का कोई दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें और मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति को बनाए रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 व 7, 6(2) ने अपनी बहस में निवेदन किया है प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मनगंढत, आधारहीन होने से खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में [illegible] होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:16 IST
Reason: SelfAttested

:– **आदेश** :–

अतः मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि सरहद मौजा लाछीवाड़ गोलिया में स्थित पुराने खसरा नंबर 256 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा से सृजित नए खसरा नंबर खसरा नंबर 251 रकबा 0.89 हैक्टेयर एवं पुराने खसरा नंबर 270 रकबा 91 बीघा 2 बिस्वा से सृजित नए खसरा नंबर 233 रकबा 1.48

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

हैक्टेयर, खसरा नंबर 234 रकबा 2.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 235 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नंबर 236 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नंबर 237 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नंबर 238 रकबा 1.66 हैक्टेयर, खसरा नंबर 242 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नंबर 460 रकबा 1.64 हैक्टेयर, खसरा नंबर 461 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 462 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 463 रकबा 1.74 हैक्टेयर, खसरा नंबर 464 रकबा 0.88 हैक्टेयर, खसरा नंबर 465 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 466 रकबा 1.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 467 रकबा 0.64 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 468 रकबा 0.65 हैक्टेयर की आराजी पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **22.12.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:16 IST
Reason: SelfAttested